

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

मुकाम

श्री खामिह

बनाम

लवाईपिह वगैर

करम मकदमा

रा ० प्र ०

111, 128

नं.

238/16

सन 2016

क्र. सं.

हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

22/11/16

प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री... खुशामिह चौधरी

न. सं. प्रार्थना/पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128

राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।
जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मान
तलय हाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 21/12/16... को पेश हो।


सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

21/12/16

प्राथी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गो. के नोटिस
तामिल मद्रम तामिल म्यापत। इन्तजार
दोहर पत्रावली करिना दिनांक 23/01/17 के पेश की।

23/01/17

प्राथी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गो. के नोटिस
तामिल मद्रम तामिल म्यापत। इन्तजार
दोहर पत्रावली करिना दिनांक 23/02/17 के पेश की।

21/02/17

प्राथी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गो. के नोटिस
तामिल मद्रम तामिल म्यापत जिसे शामिल पत्रावली किया
गया। विप्रार्थी/गो. का पत्रावली तामिल मद्रम उपस्थित।
इन्तजार वास्ते बहस पत्रावली
करिना दिनांक 03/04/17 के पेश की।

03/04/17

प्राची वहील उपलब्ध। विप्राधीगण अनुसंधान।
 प्राची वहील द्वारा प्राची के खातेदारी खेल के सीमाज्ञान
 की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई, प्राची के अधिकता
 की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्राची के अधिकता
 ने बण्वा की प्राची के अपने खातेदारी खेल के
 चारों ओर पकड़े नैष्काम्यापित कराये जाने का
 शक है। इसलिए प्राची द्वारा अनुत्त नैष्काम्य
 आवेदन को स्विकार किया जाकर नैष्काम्य/कोश
 किया जावे।

शतः प्राची के अधिकता के निवेदन
 पर प्राची द्वारा अनुत्त नैष्काम्य आवेदन को स्विकार
 किया जाकर तदसीकार वायव्य को कमिश्नर नियुक्त
 किया जाता है व कोश दिया जाता है कि आप
 स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी सू.प्रभिलेख
 निरिपक से प्राची के खातेदारी खेल की पकड़ी
 नैष्काम्य मोठे पर खुल्लु जमावताउ करे, पालना
 रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली है, पत्रावली
 प्रेमल कुमार को डजी नम्बर से कम है, प्राचल
 दस्तूर है।

सचिव, नैष्काम्य [900]
 धारण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2017 / 133

दिनांक :- 03/04/2017

प्रार्थीगण
1. भीखसिंह पुत्र ज्वारसिंह
वगैरा 5 जाति राजपुरोहित
निवासी अखे का धड़ा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. सवाईसिंह पुत्र पूनमसिंह वगैरा 52
निवासी अखे का धड़ा, सोमेशरा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 238/16

आदेश

खसरा नम्बर 209 रकबा 48.10 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 181.04 बीघा मौजा अखे का धड़ा पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनिस्थ भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थीनी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा साथ ही अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलेक्टर (SDO)
(हिताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक :- 03/04/2017

क्रमांक / वाद / 2017 / 134 to 138
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रैकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री भीखसिंह पुत्र ज्वारसिंह वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री सवाईसिंह पुत्र पुनमसिंह वगैरा 52।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु